




फर्द अहकाम  
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा  
 प्रकरण संख्या 359/2023

उनवान

श्री खोहनलाल बनाम श्री त्रिभुलाल

धारा 111-128 प्रा0पत्र/राजस्व वाद

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
13/10/23	<p>बाद जॉच वाद/प्रार्थना पत्र/इंजराय/अपील पेश हुई, दर्ज रजिस्टर किया जावे। सूचना विपक्षीयणो को जरिये तलवाना के अनुसार जारी हो। पत्रावली दिनांक 16/11/23 ... को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">                       उपखण्ड अधिकारी                      भीलवाड़ा                 </p>	
16/11/23	<p>पत्रावली के बाद हुई प्रार्थना स्वयं उपखण्ड प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रिक्स्ट किया है कि प्रार्थना पत्र पत्रावली अन्तर्गत धारा 111-128 के तहत रोजू एक का बिट्टो करना चाहता है इस प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं चाहता है अतः प्रार्थी के स्वयं के प्रार्थना पत्र पर प्रकरण में बिट्टो के आदेश पर प्रकरण में कार्यवाही समाप्त करने हुये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकृत किया जाता है। प्रकरण उसका पुनः ठेका नम्बर से कम किया जावे।</p> <p style="text-align: center;">                       16/11/23                 </p>	<p style="text-align: right;">                       उपखण्ड अधिकारी                      भीलवाड़ा                 </p> <p style="text-align: right;">                     कोहनलाल                 </p>